ला.प.व. आदेश 41 नियम 5 / 15 / 2023

काशीराम बनाम सरकार वगै.

23—11—23

अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21—11—2023 को निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज की गई है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल, अजमेर में वकील नियुक्त करने व अन्य दिगर खर्चों की व्यवस्था में समय लगने की संभावना है। उक्त अवधि में यदि न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री की पालना में प्रार्थी को मौके से बेदखल किया गया अथवा वादग्रस्त भूमि को आराजीराज कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अवधि अर्थात 15 दिवस तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—11—2013 की पालना स्थगित रखी जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21—11—2023 को अपीलांट् की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री खारिज किया गया है। चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में समयावधि के दौरान वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के हितों की सुरक्षार्थ व प्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 (2) सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रार्थी को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21—11—2023 की पालना स्थगित रखी जाती है। उक्त अवधि के उपरान्त यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर